

कार्यालय अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

क्रमांक 3344-53 एमसी/14/2021

भोपाल, दिनांक 5/02/2021

:- सूचना :-

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 161/4/प्रवेश/संचिशि/2021 दिनांक 01.01.2021 के परिपालन में इस चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2002 से वर्ष 2013 तक एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में प्रवेशित, वर्ष 2006 से 2015 तक पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित एवं वर्ष 2006 से 2016 तक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओ, जिनके द्वारा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात नियमानुसार की जाने वाली ग्रामीण सेवा पूर्ण की गई है अथवा ग्रामीण सेवा बॉन्ड के एवज में बॉन्ड राशि जमा की गई है, उन्हे सूचित किया जाता है कि यदि उनका नाम ग्रामीण सेवा बॉन्ड की शर्तों को पूरा न करने वाले छात्रों की सूची में दर्शाया गया है तो वे ग्रामीण सेवा पूर्ण करने पर डी.एच.एस से प्राप्त एन.ओ.सी अथवा संस्था मे बॉन्ड राशि जमा करने की पावती/एन.ओ.सी विद्यार्थी शाखा मे शीघ्र प्रस्तुत करे। आपके पास दोनो एन.ओ.सी उपलब्ध नही होने की दशा मे आप संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-सविदा/2021/102 भोपाल, दिनांक 03/02/2021.में दिए गए निर्देशनुसार दिनांक 31/03/2021 तक आवश्यक रुप से कार्यवाही करें। बॉन्ड पूर्ण करने का अंतिम अवसर है, अतः छात्र इसको अतिमहत्वपूर्ण मानकर कार्यवाही करें।

अधिष्ठाता

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

प्रतिलिपि:-

- 1) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5) नोटिस बोर्ड, कॉलेज/लायब्रेरी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

॥

अधिष्ठाता

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल